के. चंद्रशेखर राव
हैदराबाद

मुख्यमंत्री

तेलंगाना

7 दिसंबर, 2021

प्रिय श्री नरेंद्र मोदी जी,

आप कृपया इस बात से अवगत हैं कि सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) एक सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला खनन कंपनी है, जिसका स्वामित्व तेलंगाना राज्य सरकार और भारत सरकार (भारत सरकार) के पास क्रमशः 51:49 की इक्विटी हिस्सेदारी के साथ है। यह देश का सबसे पुराना कोयला खनन सार्वजनिक क्षेत्र का निकाय है।

एससीसीएल वर्तमान में लगभग 6.5 करोड़ टन कोयले का उत्पादन कर रहा है और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के विद्युत ताप संयंत्र की कोयले की जरूरतों को पूरा कर रहा है। राज्य के विभाजन के बाद, तेलंगाना में आत्याधिक बिजली की मांग जून, 2014 में 5661 मेगावाट से बढ़कर मार्च, 2021 में 13688 मेगावाट हो गई है। इसलिए, बिजली उत्पादन के लिए कोयले की निर्बाध आपूर्ति बहुत महत्वपूर्ण है।

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के तहत, भारत सरकार ने पहले मेसर्स एससीसीएल को तेलंगाना के गोदावरी वैली कोल फील्ड्स (जीवीसीएफ) में अपने दम पर अन्वेषण करने के लिए अधिसूचित किया था। एमएमडीआर अधिनियम, 1957 में संशोधन से पहले और 2015 तक, एससीसीएल को राज्य में अन्वेषण और कोयला खनन करने के लिए तत्कालीन निज़ाम सरकार द्वारा विशेष अधिकार दिए गए थे। इसके बाद, समय-समय पर निर्धारित प्रक्रियाओं से सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, तेलंगाना सरकार और भारत सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौते के

अनुसार जीवीसीएफ के नए खोजे गए क्षेत्रों में खनन गतिविधि जारी रखने के लिए क्रमिक राज्य सरकारों द्वारा कई खनन पट्टे दिए गए थे। तदनुसार, इन पट्टों के लिए कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा खनन योजनाओं को भी अनुमोदित किया गया था।

2015 में एमएमडीआर अधिनियम के संशोधन के बाद, सरकारी कंपनियों को कोयला आधारित क्षेत्रों का आवंटन या तो धारा 17 (ए) (2) के प्रावधानों के तहत आरक्षण के माध्यम से या एमएम (डी एंड आर) अधिनियम 1957 की धारा 11 ए के तहत आवंटन या नीलामी के माध्यम से किया गया। तदनुसार, एससीसीएल ने चार कोयला ब्लॉकों अर्थात सथुपल्ली ब्लॉक-II, कोयागुडेम ब्लॉक-111, श्रवणपल्ली ब्लॉक और कल्याणीखानी ब्लॉक 6 के आवंटन के लिए कोयला मंत्रालय, भारत सरकार से संपर्क किया, जहां एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 11 ए के प्रावधानों के तहत एससीसीएल द्वारा विस्तृत अन्वेषण पूरा किया गया है।

परन्तु, राज्य सरकार और एससीसीएल के बार-बार अनुरोध के बावजूद, कोयला मंत्रालय ने उपरोक्त चार ब्लॉकों को किश्त 13 के तहत नीलामी के लिए रखे गए ब्लॉकों की सूची में शामिल किया है।

सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड को जीवीसीएफ के इन चार कोयला ब्लॉकों का आवंटन, बिजली क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और साथ ही ये मौजूदा खनन पट्टों के डिप साइड पर और कोयले के साथ परिचालन खानों से सटे विस्तार ब्लॉक हैं तथा खनन काफी गहराई पर हो रहा है और केवल एससीसीएल के मौजूदा खान कामकाज के माध्यम से ब्लॉक तक पहुंचना किफायती होगा और भंडार के संरक्षण में भी मदद करेगा।

उपरोक्त के मद्देनजर, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया कोयला मंत्रालय को उपरोक्त चार कोयला ब्लॉकों (जेवीआर 0 सी-111, श्रवणपल्ली ओसी, कोयागुडेम ओसी-111 और केके -6 यूजी) को किश्त 13 के तहत

नीलामी ब्लॉक की सूची से हटाने का निर्देश दें और उन्हें एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 11 ए और संबंधित नियमों के तहत एससीसीएल को आवंटित करें।

सस्नेह,

सादर,

(के.चंद्रशेखर राव)

श्री नरेंद्र मोदी

भारत के माननीय प्रधानमंत्री

नई दिल्ली।